सं.15/04/2007-निदेशक (कैंटीन)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
निदेशक (कैंटीन)

****

लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक- 13 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में स्थित गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों/भोजन कक्ष से संबंधित मुद्दे।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक (कैंटीन) का कार्यालय, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में संचालित गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों के संबंध में नियमों/दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है। संशोधित मॉडल भर्ती नियम इस विभाग द्वारा दिनांक 22.05.2013 और 04.06.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए थे।

2. इस विभाग के संज्ञान में यह आया है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने इस विभाग द्वारा परिचालित मॉडल भर्ती नियमों पर आधारित गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों में विभिन्न पदों हेतु भर्ती नियमों को अभी तक अंगीकार और अधिसूचित नहीं किया है। सभी मंत्रालयों/विभागों से मॉडल भर्ती नियम को अंगीकार करने और अधिसूचित करने हेतु यथाशीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। यह विभागीय कैंटीनों के कर्मचारियों की भर्ती और समयबद्ध पदोन्नतियों को सुकर बनाएगा।

3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने समूह 'ख' के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती नियमों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए भर्ती नियम नियमन, संशोधन और निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल शुरू किया था। इसलिए, निदेशक (कैंटीन) की संस्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सभी मंत्रालयों/विभागों से समूह 'ख' कर्मचारियों के संबंध में अपने प्रस्ताव भर्ती नियम नियम, संशोधन और निगरानी प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल के माध्यम से स्थापना (भर्ती नियम) को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

4. इसके अतिरिक्त, यह संज्ञान में आया है कि कई मंत्रालयों/विभागों में विभागीय कैंटीनों के कर्मचारी कैंटीन मामलों से भिन्न उद्देश्य हेतु नियुक्त किए जा रहे हैं। इस संबंध में, इस मंत्रालय के दिनांक 05.04.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 15/3/1992- निदेशक (कैंटीन) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि कैंटीन के कर्मचारियों को कैंटीन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु काम में न लगाया जाए।

6. यह अनुदेश सभी संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी अग्रेषित किए जाएं। इस संबंध में सभी आदेश/ परिपत्र वेबसाइट (dopt.gov.in =>कल्याण=> कैंटीन=>कार्यालय ज्ञापन एवं परिपत्र) पर उपलब्ध हैं।

कुलभूषण

(कुलभूषण मल्होत्रा)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष संख्या 0 11 2464 6961

....2/-

प्रति प्रेषितः- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों (मानक सूची के अनुसार) को [संबंधित प्रतिष्ठान के निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) को ध्यानार्थ] उनके क्षेत्राधिकार और प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबंधित प्रतिष्ठान/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को सूचना प्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु।

इन्हें भी प्रति प्रेषितः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
4. उप सचिव (प्रशा.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
6. लेखापरीक्षा निदेशक, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
7. लेखा महानियंत्रक, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. भारतीय उच्चतम न्यायालय, तिलक मार्ग, नई दिल्ली
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, शेर शाह मार्ग, नई दिल्ली।
10. रक्षा लेखा महानियंत्रक, ऊलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी-10 ।
11. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय. डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110011 ।
12. सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक (मानक सूची के अनुसार)।